5 अगस्त, 2015

श्रीलंका में आगामी संसदीय चुनाव (2015): एक आकलन

*डॉ. एम. समता**

प्रस्तावना

श्रीलंकाई संसदीय चुनाव, जो 17 अगस्त को होने जा रहे हैं, जनवरी में सत्ता में आई राष्ट्रपति सिरिसेना की सरकार के लिए चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रपति चुनावों के बाद सभी राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे गठबंधन सहयोगियों की मदद से संवैधानिक संशोधनों और आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाने के संदर्भ में कई घटनाएं घटीं। श्रीलंका की नई सरकार एजेंडा में सुधार करने हेतु जन-समर्थन जुटाने में कुछ हद तक सफल रही थी। तथापि, सबसे बड़ी चुनौती आगामी संसदीय चुनावों को जीतने की होगी जो अंतत: सुधारों के लिए किए गए वायदों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह कोई आसान काम नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्येक राजनैतिक दल और दलों के गठबंधन चुनाव घोषणापत्रों और सार्वजनिक वक्तव्यों के माध्यम से विभिन्न वैकल्पिक नीति विकल्पों को सामने लाकर मतदाताओं का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में, विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करना महत्वपूर्ण होगा और कैसे यह चुनाव प्रधानमंत्री पद के दो प्रमुख उम्मीदवारों, वर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएफए, यूएनएफजीजी और टीएनए गठबंधन द्वारा किए गए वादे

यूपीएफए

यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलायंस (यूपीएफए) का घोषणापत्र एक 12 सूत्री कार्यक्रम है जिसे "भविष्य के लिए गारंटी" नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, राजपक्षे चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 'घोषणापत्र में ठप पड़ी विकास परियोजनाओं को फिर से प्रारंभ करने, युवाओं के लिए रोजगार और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा के बारे में बतलाया गया है'।[1] जातीय सुलह के सवाल पर, यूपीएफए ने श्रीलंका की एकता सुनिश्चित करने के लिए छह महीने के भीतर एक राजनैतिक संकल्प लाने और भारत द्वारा समर्थित संविधान के 13वें संशोधन पर आधारित एक राजनैतिक समाधान का वायदा किया है। इसने एक वर्ष के भीतर *सबक और सुलह आयोग (एलएलआरसी)* की संस्तुतियों को भी लागू करने का वायदा किया। इन पहलुओं को मेल-मिलाप तथा उत्तरदायित्व की प्रक्रिया के संबंध में अल्पसंख्यक तमिल आबादी की आशंकाओं को दूर करने के लिए शामिल किया गया है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में अल्पसंख्यक दल पूर्व राष्ट्रपति की हार के लिए जिम्मेदार थे।

वर्ष 2010 के पिछले संसदीय चुनाव में, 'यूपीएफए ने 225 में से 144 सीटों पर जीत दर्ज की। यूएनपी के नेतृत्व वाले यूनाइटेड नेशनल फ्रंट (यूएनएफ) ने 60 और टीएनए ने 14 सीटों पर जीत हासिल की।'[2] राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंकाई सरकार के द्वारा लिट्टे की हार ने कुल वोटों का 60 प्रतिशत प्राप्त करने में मदद की। तथापि, वर्ष 2010 के संसदीय चुनावों के बाद राजनैतिक घटनाक्रम, विशेषकर 2015 के राष्ट्रपति चुनावों में राजपक्षे की हार ने यूपीएफए गठबंधन में बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। उदाहरण के लिए, सिंहली कट्टरपंथी पार्टी, जातिका हेला उरुमाया (जेएचयू) और श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस (एसएलएमसी) गठबंधन से अलग हो गए। तब से संसद में यूपीएफए की शक्ति में उतार चढ़ाव आता रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद, राजपक्षे सत्ता में वापस आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तथापि, इस पद को जीतने के लिए, राजपक्षे को श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) के सदस्यों का विश्वास जीतना होगा। एसएलएफपी, सिरिसेना और राजपक्षे गुटों के बीच बंटा हुआ है। प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में आने के लिए संसदीय चुनावों में लड़ने का पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का निर्णय राष्ट्रपति को स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रपति के अनुसार, उन्हें 'श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) में विभाजन को रोकने के लिए संसदीय चुनावों में राजपक्षे की उम्मीदवारी का समर्थन करना पड़ा था', क्योंकि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) के कुछ सदस्य राजपक्षे के पक्ष में हैं।[3] राजपक्षे के 'चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) के कुछ सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड नैशनल फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस' (यूएनएफजीजी) गठबंधन को समर्थन दिया था।'[4]

सिंहली बहुल क्षेत्रों में अधिकतम सीटें हासिल करने के लिए युवाओं का विश्वास जीतना महत्वपूर्ण है। अपने (चुनाव) अभियान में राजपक्षे, रोजगार के अवसरों (15 लाख रोजगार) की पेशकश करके युवाओं को और जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) जैसे राजनैतिक दलों, जिनकी ग्रामीण युवाओं के बीच पहुँच है, को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा, "जेवीपी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में 1980 के दशक में यूएनपी सरकार के कार्यकाल में अपने सदस्यों की सामूहिक हत्याओं के बारे में एक भी शब्द शामिल करने में विफल रहा था।"[5] वर्ष 2005 के राष्ट्रपति चुनावों में, जेवीपी ने जेएचयू के साथ-साथ उनका (राजपक्षे का) समर्थन किया था। वर्ष 2010 में, इसने राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान सेना में रहे एक पूर्व जनरल शरत फोंसेका की उम्मीदवारी का समर्थन किया। कुछ ऐसे कारक हैं, जो राजपक्षे के पक्ष में काम कर सकते हैं:

- पहला कारक राजपक्षे के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा है। उनके लिए अनुकूल परिस्थिति यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार निरोधक इकाई होने के बावजूद, अब तक साबित नहीं किया जा सका है।

- चीन समर्थित सभी परियोजनाओं के समाप्त होने के बारे में प्रचार झूठा साबित हुआ और श्रीलंका ने हाल ही में चीन के साथ संयुक्त रक्षा अभ्यासों का आयोजन किया।

- युद्ध अपराधों पर आसन्न संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट (जिसकी मांग अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई थी) का राजपक्षे के लिए समर्थन जुटाने हेतु प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। तमिल समूहों को दी गई रियायतों, जैसे कि प्रतिबंधित वेबसाइटों को चलाने की अनुमति देना आदि के खिलाफ बोदु बाला सेना (बीबीएस) और जेएचयू जैसे सिंहली बौद्ध समूहों के अभियान उनके पक्ष में कारगर हो सकते हैं।

- राजपक्षे कुरुनेगला जिले से चुनाव लड़ रहे हैं जो सिंहली आबादी की बहुलता वाला तीसरा सबसे बड़ा जिला है।

यूएनएफजीजी

प्रधानमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) यूनाइटेड नेशनल फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस (यूएनएफजीजी) नामक गठबंधन की अगुवाई कर रहा है। अल्पसंख्यक राजनैतिक दल, जैसे कि श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस (एसएलएमसी), तमिल प्रगतिशील एलायंस (टीपीए) और ऑल सीलोन पीपुल्स कांग्रेस (एसीपीसी) आदि इसके कुछ गठबंधन सहयोगियों में से हैं। "60 महीने में एक नया देश: पांच सूत्रीय योजना" नामक यूएनएफजीजी के घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था के विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, सभी के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, बुनियादी सुविधाओं में निवेश और शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में उल्लेख है।[6] पांच सूत्री एजेंडे का उद्देश्य नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया में सिविल सोसायटी को शामिल करके सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करना है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए संवैधानिक परिषद की संरचना में बदलाव का भी वादा इस घोषणापत्र में किया गया है। राजपक्षे के नेतृत्व वाले पिछले शासनकाल के दौरान, सिविल सोसायटी मानवाधिकार संरक्षण और जवाबदेही के पक्ष में प्रचार करने के कारण अनेक समीक्षाओं के दायरे में आ गये थे।

धर्म के सवाल पर, घोषणापत्र में उल्लेख है कि बौद्ध शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के अलावा, इसमें सभी हिंदू पूजा स्थलों में निःशुल्क प्रवेश, इस्लामी इबादतगाहों में सुरक्षा और ईसाई मामले के मंत्रालय की पुनःस्थापना का वायदा किया गया है। यदि इन वायदों को लागू किया जाता है, तो अत्यधिक आवश्यक सुलह प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा।

आर्थिक मोर्चे पर, रानिल विक्रमसिंघे ने देश भर में दस लाख रोजगार सृजित करने और 45 आर्थिक विकास क्षेत्र (ईडीजेड) बनाने का वादा किया। यूएनएफजीजी का अभियान राजपक्षे के चुनाव अभियान का विरोध करने पर केन्द्रित रहा और उसने (राजपक्षे के) इस अभियान को 'क्रांति-विरोधी' तथा जनवरी 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में लोगों द्वारा दिए गए जनादेश के खिलाफ बताया।[7] घोषणापत्र में एकात्मक राज्य की संरचना को बनाए रखते हुए सत्ता का हस्तांतरण करने का भी वादा किया गया है। इसमें नई निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करने का भी उल्लेख है। बहरहाल, इन चुनावी वायदों को उन राजनैतिक दलों का समर्थन पाने की जरूरत होगी जो गठबंधन का हिस्सा हैं।

यूएनपी ज्यादा निवेश का वायदा करके उन '5.7 करोड़ मतदाताओं तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में राजपक्षे को वोट दिए हैं'।[8] सामपुर विद्युत परियोजना तथा भारत की सहायता से एक दूसरा कोल बिजली संयंत्र और चीन की खाड़ी, त्रिंकोमाली में एक तेल शोधक कारखाना विकास पर इसके जोर देने के उदाहरण के रूप में पेश किए गए हैं।

उत्तरी क्षेत्र में, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी विकास परियोजनाओं, जैसे 'जाफना विश्वविद्यालय; जाफना के लोगों का उनके स्वयं की भूमि पर पुनर्वास; पलाली हवाई अड्डे का विकास और पेयजल परियोजना' का वायदा किया।[9] युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद लापता व्यक्तियों की तलाश के प्रश्न पर, प्रधानमंत्री ने उन्हें तलाशने के लिए एक स्थायी कार्यालय स्थापित करने का वायदा किया।

प्रधानमंत्री के रूप में रानिल के बने रहने की अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी छह महीने से कुछ ही समय पहले लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। चूंकि संसद में उनकी उम्मीदवारी के समर्थन हेतु तमिल राजनैतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त करना निर्णायक है, रानिल सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में तमिल दलों ने राष्ट्रपति के रूप में राजपक्षे का जोरदार विरोध किया था।

टीएनए

तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) के घोषणापत्र में वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाओं के संबंध में उनकी निराशा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ईलम पीपुल्स क्रांतिकारी लिबरेशन फ्रंट (इपीआरएलएफ), तमिल ईलम मुक्ति संगठन (टीइएलओ) और लंकाई तमिल आरासु कच्ची (आइटीएके) का गठबंधन है। तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) के घोषणापत्र के अनुसार, वर्तमान संविधान "बहुसंख्यकों के पक्ष में है और तमिल जनता पर बहुसंख्यकवादी वर्चस्व थोपता है।"[10] इसलिए, तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ऐसी सत्ता साझेदारी व्यवस्था का पक्षधर है जिसमें तमिल भाषी उत्तरी और पूर्वी प्रांतों की पहचान श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के ऐतिहासिक निवास स्थान के रुप में होगी और यह मानता है कि ये लोग आत्म निर्धारण के अधिकार के हकदार हैं। इसलिए, "साझी संप्रभुता के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण जमीन, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और कृषि के लिए होना चाहिए।"[11] सुलह और जवाबदेही के सवाल पर टीएनए उम्मीद करता है कि श्रीलंका सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) द्वारा अंगीकार किए गए संकल्पों को पूरा करेगी और युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की आगामी जांच रिपोर्ट का सम्मान करेगी। इन मुद्दों के अलावा, असैनिकीकरण, पुनर्वास और आतंकवाद निरोधक कानून (पीटीए) के उन्मूलन के मुद्दे भी घोषणापत्र में हैं।

टीएनए के आत्म निर्धारण की मांग की इस आधार पर यूनाइटेड सिटीजन फ्रंट (यूसीएफ) और जीवीपी द्वारा आलोचना की गई कि यह मांग श्रीलंका की संप्रभुता के लिए खतरा है।[12] हाल ही में तमिलनाडु में लिट्टे के नेताओं की गिरफ्तारी ने भी कट्टपंथी सिंहली राजनैतिक दलों के बीच लिट्टे के पुनरुत्थान के बारे में अटकलों को हवा देने का काम किया है। यह अटकल सिंहली बहुल क्षेत्रों में यूपीएफए गठबंधन को वोट प्राप्त करने में सहायता देगी।

कुछ सिंहली और तमिल राजनैतिक दलों में अंतिम राजनैतिक समाधान के रूप में 13वें संशोधन के क्रियान्वयन के संबंध में विचारों का मतभेद इस मुद्दे पर किसी राजनैतिक समाधान तक पहुंचने के मार्ग की जटिलताओं को दर्शाता है। उत्तरी प्रांत के मुख्यमंत्री, सी. वी. विग्नेश्वरन ने कहा कि "13वां संशोधन कभी भी अंतिम समाधान नहीं हो सकता"[13] जबकि यूपीएफए ने तेरहवें संशोधन पर आधारित समाधान का वायदा किया है और यूएनपी का विचार है कि टीएनए द्वारा सुझाया गया संघीय समाधान व्यवहार्य नहीं है। इस संदर्भ में, तमिल जातीय प्रश्न का राजनैतिक समाधान वर्ष 2009 में युद्ध के समाप्त हो जाने के बावजूद जटिल बन गया है।

संभावित परिदृश्य

भले ही यूपीएफए जीत हासिल करने में सफल हो जाए, लेकिन काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सिरिसेना प्रधानमंत्री बनने के लिए राजपक्षे को आमंत्रित करते हैं। पदभार ग्रहण की राजपक्षे की पात्रता गंभीर बहस का विषय है और कुछ ऐसे तकनीकी मुद्दे हैं, जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं। यद्यपि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, तथापि यह देखने की आवश्यकता होगी कि क्या सिरिसेना सबसे बड़े गठबंधन के नेता को पद से वंचित रखने का साहस दिखा सकते हैं। स्पष्ट है कि 19वें संशोधन के तहत, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से कहीं अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 42(4) में इसे राष्ट्रपति के विवेक पर यह बताते हुए छोड़ दिया गया है कि "राष्ट्रपति उस संसद सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसकी, राष्ट्रपति के विचार में, संसद का विश्वास जीतने की सबसे अधिक संभावना है।" तथापि, 'कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि इस अनुच्छेद को पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। अनुच्छेद 31(2) और अनुच्छेद 92 में उल्लेख है कि कोई व्यक्ति, जो दो बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ हो, वह इसके बाद लोगों द्वारा उस पद पर निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा। और यदि, राजपक्षे प्रधानमंत्री के पद पर पदोन्नत हुए, तो वे परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी राष्ट्रपति के रुप में कार्य नहीं कर सकेंगे।'[14] संसद द्वारा राजपक्षे को अस्थायी रुप से भी इस पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद सिरिसेना को संसद में बहुमत द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति के चयन में लाभ दे सकता है।

निष्कर्ष

चुनावी गुटबंदियां राजपक्षे के विरोधियों के पक्ष में हैं। तथापि, राजपक्षे की अत्यंत प्रभावशाली छवि और सिंहली बहुसंख्यकों में उनका आकर्षण कुल मिलाकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे चुनावों को जीतने के लिए अपने गठबंधन के अधिकाधिक सांसदों को राजी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री पद हेतु मुख्य दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। विश्लेषकों का यह भी दावा है कि चुनावों का समय उन्हें वापस आने से रोकने को ध्यान में रखकर तय किया गया है; यदि युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में उनकी आलोचना होती है तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोका जा सकता है। इस समय-निर्धारण को कुछ लोगों द्वारा उनके सहयोगी विक्रमसिंघे को (प्रतिस्पर्धा में) बढ़त देने के उद्देश्य के रूप में देखा जा रहा है। जो भी गठबंधन सत्ता में आएगी, उस गठबंधन सरकार की राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा नीति का भारत-श्रीलंका संबंधों पर सीधा असर पड़ेगा।

डॉ. एम. समता विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

समाप्ति नोट :

1 "यूपीएफए चुनाव घोषणापत्र में ठप विकास परियोजनाओं को फिर से प्रारंभ करना शामिल है" 28 जुलाई 2015, http://newsfirst.lk/english/2015/07/upfa-election-manifesto-includes-restarting-stalled-development-projects/105393.

2 चुनाव विभाग, श्रीलंका सरकार, 2010, http://www.slelections.gov.lk/parliamentary_elections/AIVOT.html.

3 रामकृष्णन् टी., "सिरिसेना प्रधानमंत्री के पद के लिए राजपक्षे की उम्मीदवारी के खिलाफ" द हिन्दू, 15 जुलाई 2015, http://www.thehindu.com/news/international/sirisena-against-rajapaksas-candidature-for-pms-post/article7422569.ece.

4 "रजिता सेनारत्ने तथा चार अन्य की एसएलएफपी सदस्यता निलंबित।", 28 जुलाई, 2015, http://newsfirst.lk/english/2015/07/breaking-slfp-membership-of-rajitha-senaratne-and-four-others-suspended/105405.

5 इद्रीसिंघे डसूं, "यूपीएफए ने सत्ता में आने के 6 महीनों के भीतर नए संविधान का वायदा किया,'' 28 जुलाई 2015, www.island.lk/index.php?Page-cat=article-detailsPage=article-details&code-title=129071.

6 'संयुक्त राष्ट्रीय सुशासन मोर्चा ने अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया' 24 जुलाई 2015, Asiantribune.com?node/87467.

7 मूर्ती एन.साथिया, "क्रांति और क्रांति विरोधी के संबंध में," 3 अगस्त 2014, http://www.thesundayleader.lk/2015/07/26/of-revolution-and-counter-revolution/

8 "यूएनएफजीजी माननीय प्रधानमंत्री के लिए वोट देने वाले 57 लाख मतदाताओं को निराश नहीं होने देंगे", 28 जुलाई 2015, http://www.dailymirror.lk/81143/unfgg-will-not-let-down-5-7mn-voter-voted-for-mr-pm

9 "जाफना में मेगा विकास परियोजनाएं - प्रधानमंत्री", http://www.srilankanewslive.com/sri-lanka/item/2459-mega-development-projects-in-jaffna-pm, 2 अगस्त 2015

10 रामकृष्णन् टी., "टीएनए ने उत्तर-पूर्व के पुनर्एकीकरण पर स्व दृढ़ संकल्प दोहराया" 25 जुलाई 2015, http://www.thehindu.com/news/international/tna-reiterates-self-determination-northeast-remerger/article7464674.ece.

11 राजासिंघम के.टी., "कोलंबो में सरकार तमिलों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन स्वयं लोगों को यह अधिकार है -टीएनए घोषणापत्र," 25 जुलाई 2015, http://www.asiantribune.com/node/87473.

12 "टीएनए का घोषणापत्र श्रीलंका की संप्रभुता के लिए खतरा: तिस्सा," 26 जुलाई 2015, http://www.dailymirror.lk/80967/tna-s-manifesto-a-threat-to-sl-sovereignty-tissa.

13 "13ए कभी भी अंतिम समाधान नहीं हो सकता", मुख्य मंत्री विग्नेश्वरन कहते है" 12 मार्च 2015, www.Tamilguardian/article.asp?artileid=14064.

14 "मौजूदा कानूनों के अंतर्गत महिन्दा प्रधानमंत्री या अध्यक्ष नहीं बन सकते ..! यदि उन्हें किसी भी तरीके से नियुक्त किया गया तो राष्ट्रपति एफआर के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे", 16 जुलाई 2015, https://srilankatwo.wordpress.com/2015/07/16/mahinda-cannot-become-p-m-or-speaker-under-existing-laws-if-he-is-appointed-by-any-chance-president-is-liable-for-fr-violation/